सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 16 राँची, शुक्रवार, 5 जनवरी, 2024 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना (प्रारूप)

4 जनवरी, 2024

अधिसूचना संख्या-परि० आ०-91/2014-20--मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-88 की उपधारा (5) एवं उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल राज्य के बीच अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहनों का परिचालन किये जाने के निमित्त वर्ष-2004 में पारस्परिक परिवहन समझौता किया गया है। उक्त समझौता अंततः झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना सं०-842/2004/75, दिनांक-21.02.2006 के साथ प्रकाशित किया गया था, जो मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-88 की उपधारा (6) के अनुसार 08 मार्च, 2006 को अधिकारिक गजट में प्रकाशित किया गया था ।

उपरोक्त पारस्परिक परिवहन समझौते में मार्ग-“दुमका से आसनसोल भाया जामताड़ा” जो अनुसूची-‘क’ के क्रमांक-9 के रूप में शामिल किया गया है। उक्त मार्ग हेतु झारखण्ड राज्य का 05 एवं प० बंगाल राज्य का 04 परमिट कोटा निर्धारित है ।

ध्यातव्य है कि उक्त मार्ग पर परमिट की स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में वाद संख्या- W.P.(C) No.-1932 of 2023 एवं Cont. Case (Civil) No.-479 of 2023 (Amit Kumar vs The State of Jharkhand & Ors.) दायर किया गया है। उक्त वाद एवं आमजनों के सुविधाओं को दृष्टिपथ रखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1412, दिनांक-13.12.2023 द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार, प०बंगाल प्राधिकार से विषयगत मार्ग-दुमका से आसनसोल भाया जामताड़ा (A-9) हेतु दोनों राज्यों का परमिट कोटा वृद्धि करने के निमित्त सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त पत्र के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार, प०बंगाल के पत्रांक-719/STA/SC, दिनांक-13.12.2023 द्वारा मार्ग-दुमका से आसनसोल भाया जामताड़ा (A-9) हेतु झारखण्ड एवं प०बंगाल का परमिट कोटा 15-15 किये जाने पर सहमति प्रदान की गई है ।

अतएव उपरोक्त के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(5) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत अधिसूचना प्रारूप प्रकाशित की जाती है तथा सभी प्रभावित व्यक्तियों से अधिसूचना निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अंदर मार्ग-दुमका से आसनसोल भाया जामताड़ा (A-9) के लिए झारखण्ड एवं प०बंगाल का परमिट कोटा 15-15 किये जाने के प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर सुझाव/आपत्ति आमंत्रित की जाती है ।

यह अधिसूचना इस विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधि० सं०-842/2004/75, दिनांक-21.02.2006 के विस्तार में निर्गत की जाएगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
उप सचिव
परिवहन विभाग ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 16 - 50